हडको/सीएस/एसई/2024 13 मार्च, 2024

लिस्टिंग विभाग
बीएसई लिमिटेड
फ़िरोज़ जीजीभोय
टावर्स दलाल स्ट्रीट
मुंबई- 400001
स्क्रिप कोड- 540530

लिस्टिंग विभाग
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाजा, सी-**1,** ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला
कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई)
मुंबई-**400051**
स्क्रिप कोड- हडको

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंतरिम लाभांश की घोषणा पर विचार करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक के संबंध में सूचना

महोदय/महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29 के अनुसार, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 20* मार्च, 2024 को आयोजित की जानी प्रस्तावित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंतरिम लाभांश की घोषणा पर विचार किया जाएगा।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 29 मार्च, 2024 होगी, जो निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन होगी।

इसके अलावा, नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता और निष्पक्ष प्रकटीकरण के अनुसार, हडको इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो 13 मार्च, 2024 से 22 मार्च, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक खुली रहेगी।

कृपया यह जानकारी के लिए है

धन्यवाद,

भवदीय,
फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विकास गोयल
कंपनी सेक्रेटरी एवं कंप्लायंस ऑफिसर

हडको/सीएस/एसई/2024

15 मार्च, 2024

लिस्टिंग विभाग
बीएसई लिमिटेड
फ़िरोज़ जीजीभोय
टावर्स दलाल स्ट्रीट
मुंबई- 400001
स्क्रिप कोड- 540530

लिस्टिंग विभाग
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई)
मुंबई-400051
स्क्रिप कोड- हडको

विषय: सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 और 50 के अंतर्गत सूचना।

महोदय/महोदया,

यह हमारे दिनांक 13 मार्च, 2024 के पत्र के क्रम में है, जिसमें यह सूचित किया गया था कि निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 20 मार्च, 2024 को आयोजित की जानी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंतरिम लाभांश की घोषणा पर विचार किया जाएगा।

हम यह भी सूचित करना चाहते हैं कि बोर्ड उपर्युक्त एजेंडे के साथ-साथ निम्नलिखित मामलों पर भी विचार करेगा:

i. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वास्तविक निधि आवश्यकता के आधार पर अधिकतम 40,000 करोड़ रुपये तक बांड/डिबेंचर जारी करके निधि जुटाना; और

ii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के तहत शेयरधारकों द्वारा पूर्व में स्वीकृत 1,00,000 करोड़ रुपये की मौजूदा सीमा से समग्र उधार सीमा को बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ रुपये करना, जो शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है।

यह सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 और 50 के अंतर्गत सूचना और प्रसार के लिए है।

कृपया यह जानकारी के लिए है

धन्यवाद,

भवदीय,
फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विकास गोयल
कंपनी सेक्रेटरी एवं कंप्लायंस ऑफिसर